फर्द अहकाम

[illegible] बनाम [illegible]

नाम न्यायालय ACJM [illegible]

केस संख्या 21/13 [illegible]

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	24/3/17	[illegible] अनुपस्थित [illegible] 18-4-17 [illegible]
	18-4-17	दिनांक 18-4-17 को अवकाश [illegible] 31-5-17 [illegible]
	31/5/17	[illegible] 30/5/17 [illegible]
	30/5/17	आज पत्रावली [illegible] लोक अदालत [illegible] पेश हुई [illegible] पत्रावली [illegible] को पेश हो। सहायक अभियोजन अधिकारी [illegible]
	16/6/17	आज पत्रावली [illegible] पेश हुई [illegible] पत्रावली पर [illegible] वादी की [illegible] गया। [illegible] किया गया। पत्रावली अवलोकन किया गया। पत्रावली [illegible] है। अतः [illegible] फैसला [illegible] दाखिल [illegible] पत्रावली किया गया। [illegible] हो। [illegible] अभियोजन अधिकारी [illegible]

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर
मुकदमा नम्बर :– 19/2007 पुनः दर्ज 216/2013
पीठासीन अधिकारी :– श्री रवि विजय, (आर.ए.एस.)

उनवान

1. नरपतसिंह पुत्र सुल्तान सिंह जाति राजपूत निवासी करीरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

वादी

बनाम

1. श्रीमती प्रकाश कंवर बेवा दयाल सिंह
2. नरेन्द्र सिंह पुत्र दयाल सिंह
3. विरेन्द्र सिंह पुत्र दयाल सिंह
4. महेन्द्र सिंह पुत्र दयाल सिंह
5. उगमसिंह पुत्र मंगेज सिंह
6. लक्ष्मण सिंह पुत्र मंगेज सिंह (मृतक दौराने वाद)
   6/1 पारस कंवर पत्नी लक्ष्मण सिंह
   6/2 धर्मवीर } पि0 लक्ष्मण सिंह
   6/3 कर्मवीर }
7. जयसिंह पुत्र मंगेज सिंह
8. प्रकाश सिंह पुत्र मंगेज सिंह
9. विजयपाल सिंह } पुत्रान् गोविन्द सिंह
10. सरदार सिंह }
11. भोपाल सिंह }
12 कुकु कंवर बेवा गोविन्द सिंह
13. सुगन कंवर बेवा शिम्भू सिंह
14. मदन सिंह पुत्र शिम्भू सिंह
15. इन्द्रसिंह पुत्र शिम्भू सिंह (मृतक दौराने वाद)
   15/1 श्रीमती मंजू कंवर पत्नी इन्द्रसिंह
   15/2 मानवेन्द्र सिंह पुत्र इन्द्रसिंह
16. श्रीमती सुप्यार कंवर बेवा हरदान सिंह
17. गजेन्द्र सिंह पुत्र हरदान सिंह (मृतक दौराने वाद)
   17/1 श्रीमती फूल कंवर उर्फ ओमकंवर पत्नी गजेन्द्र सिंह
   17/2 रेणू कंवर पुत्री गजेन्द्र सिंह उम्र 15 साल नाबालिग जरिये माता फूल कंवर पत्नी गजेन्द्र सिंह
18. कमल सिंह पुत्र हरदान सिंह
19. प्रेम कंवर पुत्र परिक्षित सिंह
20. दौलत सिंह पुत्र परिक्षित सिंह
21. मीजाज कंवर पुत्री परिक्षित सिंह
22. सायर कंवर बेवा हनुमान सिंह
23. महाल सिंह पुत्र हनुमान सिंह
24. नरपत सिंह पुत्र हनुमान सिंह
25. महीप सिंह पुत्र हनुमान सिंह
26. धर्मेन्द्र सिंह पुत्र हनुमान सिंह
27. दीनसिंह पुत्र नारायण सिंह
28. शत्रुधन सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह
29. शेरसिंह पुत्र तोपसिंह
30. श्रवण सिंह पुत्र तोपसिंह
31. ओम कंवर पुत्री तोपसिंह
32. मीरा कंवर पुत्री तोपसिंह
33. मालसिंह पुत्र अमरसिंह (मृतक दौराने वाद)

Scanned with CamScanner

33/1 रतन कंवर पत्नी अमर सिंह (मृतक दौराने वाद नाम हजफ)

33/2 मुकुट कंवर पत्नी मालसिंह

34. सम्पत सिंह पुत्र अमरसिंह

35. इचरज कंवर पुत्र केसर सिंह व सिरे कंवर

36. सांवतसिंह पुत्र छतूसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम करीरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

37. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

38. सायर कंवर बेवा गैंदा सिंह

39. सोहन सिंह पुत्र भंवरसिंह (मृतक दौराने वाद)

39/1 महालसिंह पुत्र सोहन सिंह

39/2 आनन्दसिंह पुत्र सोहन सिंह

39/3 हवा कंवर पत्नी दौलत सिंह

39/4 दीपेन्द्र सिंह पुत्र दौलत सिंह

39/5 मंजू कंवर पुत्री दौलत सिंह

40. मूलसिंह पुत्र भंवरसिंह (मृतक दौराने वाद)

40/1 महेन्द्र सिंह (फौत दौराने दावा)

40/1/1 जितेन्द्र सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह

40/1/2 दिपेन्द्र सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह

40/1/3 नरेन्द्र सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह

40/2 मगन सिंह पुत्र मूल सिंह

40/3 सरताण कंवर बेवा मूलसिंह (नाम हजफ)

41. चांद कंवर बेवा सुमेर सिंह

42. श्रवण सिंह पुत्र सुमेर सिंह

43. रतन सिंह पुत्र सुमेर सिंह

44. संतोष कंवर पुत्री सुमेर सिंह

45. राजेश कंवर पुत्री सुमेर सिंह

46. दुर्गा कंवर पुत्री सुमेर सिंह

47. मनोहर सिंह पुत्र सम्पत सिंह

48. गजेन्द्र सिंह पुत्र सम्पत सिंह

49. तोपसिंह पुत्र गोपाल सिंह

50. गोविन्द सिंह पुत्र मुकुन्द सिंह

51. संतोष कंवर पत्नी पन्ने सिंह पुत्र मुकन्द सिंह

52. प्रेम कुमार सिंह पुत्र हनुमान सिंह(मृतक दौराने वाद)

52/1 गुलाब कंवर पत्नी प्रेम कुमार सिंह

52/2 ओमपाल सिंह
52/3 कृष्णपाल सिंह } पुत्र प्रेम कुमार सिंह
52/4 राजपाल सिंह

53. सुमेर सिंह
54. मदन सिंह
55. जयकृत सिंह } पुत्रान् हनुमान सिंह
56. उपेन्द्र सिंह

57. रिसाल कंवर पुत्री हनुमान सिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी करीरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत [illegible] एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत राज0 काश्तकारी अधि0 1955

निर्णय दिनांक 16.06.2017

Scanned with CamScanner

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। आराजी खसरा नम्बर 18 रकबा 1.04, 31 रकबा 0.80, 38 रकबा 0.26, 33 रकबा 0.45, 187 करबा 0.07 कुल किता 5 रकबा 2.62 हैक्0 वाकै ग्राम करीरी तहसील शाहपुरा में स्थित है जिसके साबिक खसरा नम्बर 8 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 24 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 32 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 33 रकबा 1बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 194 रकबा 11 बिस्वा थे। उक्त विवादग्रस्त आराजी साबिक सेटलमेंट के समय खातेदारी इन्द्राज में जमनसिंह पुत्र भोमसिंह हि0 1/2, मंगेजसिंह व शिम्भूसिंह पुत्रान गुमान सिंह हि0 1/12, भंवर सिंह व नारायण सिंह पुत्रान रूधसिंह व परिक्षित सिंह पुत्र चन्द्र सिंह हि0 1/12 भाग बराबर श्रीमती सरसा बेवा हरनाथ सिंह हि0 1/12 व श्रीमती सिरे कंवर बेवा केशर सिंह हि0 1/12, भंवर सिंह पुत्र परिदान सिंह व मुकन्द सिंह व तोपसिंह पुत्र गोपसिंह हि0 1/6 , हनुमान सिंह व सुल्तान सिंह पुत्रान भंवर सिंह हि0 1/6 भाग बराबर बराबर अंकित होने से यह दावा पेश किया गया है। चूंकि वादी व प्रतिवादी तथा तरतीबी प्रतिवादी उनके पूर्वज उम्मेदसिंह से विरासत मे प्राप्त अर्जित भूमि है। उक्त आराजी में वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण 38 लगा0 57 के पूर्वजो को 1/2 भाग व प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 35 के पूर्वजो का 1/2 भाग था। उक्त विवादग्रस्त आराजी में वादी, तरतीबी प्रतिवादी व प्रतिवादी अपने – अपने हिस्से के अनुसार काबिज रहकर कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। वाद पत्र के संलग्न सजरा खानदान के अनुसार वादी तरतीबी प्रतिवादी व प्रतिवादी उम्मेद सिंह के वारिस है। साबिक खसरा नम्बर 8, 24, 32, 33, 194 जो कि राजस्व रिकार्ड में हनुमान सिंह व सुल्तान सिंह के नाम 1/6 हिस्सा दर्ज है वो गलत है। चूंकि सजरा खानदान के अनुसार वादी प्रतिवादी व तरतीबी प्रतिवादी सभी उनके पूर्वज उम्मेद सिंह के वारिस है तथा उक्त आराजी में वादी व तरतीबी प्रतिवादी का 1/2 भाग व प्रतिवादीगणो का 1/2 भाग था तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भी सेटलमेंट से पूर्व गलत इन्द्राज चला आने से तथा प्रतिवादीगणो के द्वारा अपने अपने हिस्से को दुरूस्त कराने से इंकार करने पर यह दावा पेश किया गया है।

वाद पत्र पेश होन पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत सुनवाई का अवसर दिया गया तथा दिनांक 12.04.2009, 16/11/2015 व 09.02.2017 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रस्तुत वाद पत्र के संलग्न दस्तावेजात के अवलोकन करने पर पाया गया कि वाद पत्र अनुसार वादी व प्रतिवादी तथा तरतीबी प्रतिवादीगण सभी हिन्दु परिवार एक ही खानदान के सदस्य है। प्रस्तुत सजरा खानदान प्रदर्श 1 व 2 के अनुसार उम्मेद सिंह पुत्र श्याम सिंह के वारिस है। प्रदर्श 1 व 2 के मुताबिक उम्मेद सिंह के 2 पुत्र माधोसिंह व सुखसिंह थे। माधोसिंह के 2 पुत्र क्रमशः सरदार सिंह अर्जुन सिंह हुए जिनके सरदार सिंह के परिदान सिंह वारिस है। परिदान सिंह के भवर सिंह व गोपाल सिंह वारिस है। इसी प्रकार माधोसिंह के दूसरे वारिस अर्जुन सिंह के कल्याण सिंह तथा कल्याण सिंह के भंवर सिंह तथा भंवर सिंह के हनुमान सिंह, सुल्तान सिंह वारिस हुए इस प्रकार उम्मेद सिंह के पुत्र माधोसिंह के वारिस वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण है। इसी प्रकार उम्मेद सिंह के दूसरे पुत्र सुख सिंह जिनके 2 पुत्र रूडसिंह व रामूसिंह हुए। जिनके वारिस प्रतिवादीगण है। प्रदर्श 1 व 2 के अनुसार वादी 1/4 भाग व 1/4 भाग के तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 38 लगा0 48 व 1/4 भाग के तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 49 लगा0 51 व 1/4 भाग के तरतीबी प्रतिवादीगण 52 लगा0 52 लगा0 57 दर हिस्सा 1/2 के

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट(फास्ट ट्रैक)
शाहपुरा जिला- जयपुर (राज.)

Scanned with CamScanner

खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादीगण 1 लगा0 35 का 1/2 भाग व प्रतिवादी संख्या 35 का 1/2 भाग दर हिस्सा 1/2 आता है। साबिक रिकार्ड के अवलोकन प्रदर्श 4 भी वादी व प्रतिवादीगणो के पूर्वजो के खातेदारी हक में हिस्सा गलत दर्ज होना सजरा खानदान से प्रतीत होता है। जो साबिक रिकार्ड से वर्तमान रिकार्ड प्रदर्श 3 में हिस्सा गलत अंकन होना सही प्रतीत होता है। जिसके संबंध में वादी स्वयं ने तथा साक्ष्य किशोर सिंह पुत्र सुल्तान सिंह राजपूत, श्याम लाल पुत्र झूंथा अहीर निवासी करीरी तथा सांवतसिंह पुत्र छतुसिंह राजपूत निवासी करीरी सभी ने अपने - अपने शपथ पत्रो में राजस्व रिकार्ड में वाद पत्र अनुसार गलत इन्द्राज होना व मौके पर वाद पत्र के अनुसार काबिज होना बताया गया।

अतः दावा वादीगण के पक्ष में राजस्व लोक अदालत की भावना से डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 8 रकबा 1.04, 31 रकबा 0.80, 33 रकबा 0.45, 38 रकबा 0.26, 187 रकबा 0.07 कुल किता 5 रकबा 2.62 हैक0 भूमि में प्रतिवादीगणो का हिस्सा हजफ कर नरपतसिंह पुत्र सुल्तान सिंह जाति राजपूत हिस्सा 1/4, सायर कंवर बेवा गैंदा सिंह, महालसिंह आनन्द सिंह पि0 सोहन सिंह हब कंवर पत्नी दौलत सिंह, दीपेन्द्र सिंह पुत्र दौलत सिंह, मंजू कंवर पुत्री दौलत सिंह, जितेन्द्र सिंह दीपेन्द्र सिंह नरेन्द्र सिंह पि0 महेन्द्र सिंह, मगनसिंह पुत्र मूलसिंह चंद कंवर बेवा सुमेर सिंह, श्रवणसिंह रतनसिंह पि0 सुमेरसिंह संतोष कंवर राजेश कंवर दुर्गा कंवर पुत्रियान सुमेर सिंह मनोहर सिंह गजेन्द्र सिंह पि0 सम्पतसिंह जाति राजपूत हि0 1/4, तोपसिंह पुत्र गोपालसिंह, गोविन्द सिंह पुत्र मुकन्द सिंह, संतोष कंवर पत्नी बन्नेसिंह जाति राजपूत हि0 1/4 व गुलाब कंवर पत्नी प्रेम कुमार सिंह ओमपाल सिंह कृष्ण पाल सिंह राजपाल सिंह पि0 प्रेम कुमार सिंह, सुमेर सिंह मदन सिंह जयकृत सिंह उपेन्द्र सिंह पि0 हनुमान सिंह रिसाल कंवर पत्नी हनुमान सिंह जाति राजपूत हिस्सा 1/4,दर हिस्सा 1/2 तथा प्रतिवादी 1 लगा0 34 को हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी संख्या 35 हिस्सा 1/2 दर हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगणो को पाबन्द किया जाता है कि वादी व तरतीबी प्रतिवादीगणो के कब्जे काश्त उपयोग - उपभोग में मजाहमत पैदा नहीं करे। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिकी जारी हो। बाद तकमिल फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
जिला- जयपुर

Scanned with CamScanner